



सत्यमेव जयते

① 7972/22

*Ritesh*

INDIA NON JUDICIAL

Signature  
ACC Name- RITESH KUMAR MISHRA  
ACC Code- UP14128604  
ACC Address- Tatal Campus, Deoria  
Mobile No- 9935828241  
License No- 289  
Tatal, Deoria, District- Deoria (U.P.)

Government of Uttar Pradesh

₹15,000

e-Stamp

Certificate No	: IN-UP30002878750023U
Certificate issued Date	: 30-Jun-2022 11:23 AM
Account Reference	: NEWMPACC (SV) up14128604/ DEORIA/ UP-DRA
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UP/UP1412860452445740206144U
Purchased by	: RADHIKA DEVI KAILASH PRASAD EDU TRUST BY SANJAY K
Description of Document	: Article 35 Lease
Property Description	: SAWREJI KHARAG TP PATANA PR SHAHJAHANPUR/TEH AND DISTT DEORIA
Consideration Price (Rs.)	: 15,000
First Party	: SANJAY KUMAR SO KAILASH PRASAD
Second Party	: RADHIKA DEVI KAILASH PRASAD EDU TRUST BY SANJAY K
Stamp Duty Paid By	: RADHIKA DEVI KAILASH PRASAD EDU TRUST BY SANJAY K
Stamp Duty Amount (Rs.)	: 15,000 (Fifteen Thousand only)



15000

*Sanjay Kumar*

*Sanjay Kumar*



PU 0000625089

Security Alert  
The authenticity of this Stamp Certificate cannot be verified as some verification data is missing or incorrect.  
The amount of this Stamp Certificate is ₹15,000.00 and the amount of this Stamp Certificate has expired 3 months.  
The user is not eligible for the stamp duty on this Stamp Certificate.  
Please refer to the instructions for more information on this document.

A



30/06/2022

-2-

## लीज डीड

उम्र	30 वर्ष तक
स्टैम	15000/- रुपये
साजिधत	7,20,000
मासिक किराया	10000/- रुपये प्रतिमाह
औसत वार्षिक किराया	1,20,000/- रुपये प्रतिवर्ष
सम्पत्ति	एक बिस्ता भूखण्ड
सम्पत्ति का विवरण	सदरजी बरग तथा घटना परगना साहजनपुर तहसील व जिला देवरिया के अउसम-226मि० रकबा 0.48880ए व अउसम-226मि० रकबा 0.32280मि०
क्षेत्रफल	0.81060ए० पानि 8123 वर्गमीटर होता है।

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar

सौहार्दपी

पूरव - गहर मेदी

परिवर - खेत मनोज कुमार व रत्नारमण

उत्तर - सकनार्ग व सकनारी

दक्षिण - पिच सड़क व खलिहान व बंजर

प्रथम पक्ष (लीज डीड दाता)

संजय कुमार पुत्र कैलाश प्रसाद निवासी ग्राम  
व पोस्ट पिपरा चन्द्रमान तहसील व जिला देवरिया व  
बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय सारवेजी खरग  
बेलगा बाजार देवरिया द्वारा राधिका देवी कैलाश प्रसाद  
एजुकेशनल ट्रस्ट पिपरा चन्द्रमान देवरिया ट्रस्टी/चेयरमैन  
संजय कुमार (आधार नं०-327129653848 pan no  
AHFPY5125Q ) पुत्र कैलाश प्रसाद (स्वयं व  
ट्रस्टी/चेयरमैन ) ग्राम व पोस्ट पिपरा चन्द्रमान तहसील  
व जिला देवरिया

मो०नं०-9415277558

द्वितीय पक्ष (लीज डीड गृहिणी)

राधिका देवी कैलाश प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट  
पिपरा चन्द्रमान देवरिया, ट्रस्टी/चेयरमैन संजय  
कुमार (आधार नं०- 327129653848  
pan no AACTR0671C) पुत्र कैलाश प्रसाद निवासी  
ग्राम व पोस्ट पिपरा चन्द्रमान तहसील व जिला देवरिया  
मो०नं०- 9415277558

*Sanjay Kumar*



*Sanjay Kumar*



पदा विवेक: कर्मचियताता

पृष्ठ सं: 1

रजिस्ट्रेशन सं: 7972

पृष्ठ: 2022

वर्तमान: 720010 प्रमाण शुल्क: 15000 बायोमेट्रिक्स - 11 फोटोकॉपी शुल्क: 1200 फोटोकॉपीकरण शुल्क: 40 योग: 17600

श्री राजेश कुमार,  
पुत्र श्री केलाश प्रसाद  
उपस्थान: अन्य

*Sampat Kumar*



निवासी: नरसिंह नगर रोड पिपरा धनकुआन लखीम नर जिला देवरिया

जें यह विवरण इस कार्यालय में दिनांक 30/06/2022 पर 12:21:05 PM को  
विद्यमान हेतु देया गया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

*[Signature]*  
रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर  
उपस्थान: अन्य

दिनांक  
30/06/2022

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर  
उपस्थान: अन्य  
30/06/2022

मि. को



जो कि प्रथम पक्ष एक किता आरासी बागो मौजा सवरेजी खरग तथा पटना परगना साहजहोपुर महसूल व जिला देवरिया का जरिये बैनामा दिनांक 06-09-2012 दस्तावेज नं० 6574, दिनांक 06-09-2012 दस्तावेज नं०- 6575 के द्वारा मालिक जाबिज है जो तत्पश्चात् यहाँ से पाक व साफ है जिसे मुक्ति को हर तरफ से मुक्तकील करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। जो कि उपरोक्त आरासी में रकबा 0.810 हेक्टा मनि 8193 वर्गमीटर का लीज डीड प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य आज दिनांक 30-06-2022 ई० से 29-06-2052 तक के लिए तालीम की जा रही है जिसके अवधि तीस वर्ष तक के लिए मान्य होगी।


1- यह कि 30 वर्ष तक का लीज डीड का मालिक किराया 10000/- रूपया प्रतिगाह किराया जिसकी औसत वार्षिक किराया 1,20,000/- रूपया तथा मालियत 7,20,000/- रूपये है।


2- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा ट्रस्ट के सभी सदस्य को बुलाकर यह बताया गया है कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि व भवन लीज डीड पर लेने के लिए तैयार है आपसी सहमति के आधार पर सभी सदस्यों के सहमति से लीज निष्पादित की जा रही है उपरोक्त लीज के सम्बन्ध में प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के मध्य जो शरायते मध्य हुई है। उनकी लिपिबद्ध किया जा रहा है ताकि समझ रहे व समय पर काम जाये।

3- यह कि दोनों पक्ष सम्पत्ति हस्तान्तरण एक्ट 1882 एव संशोधन (Transfer of property Act 1882 & Amendment) 2006 एवं सनी संशोधन अध्याव जो भी कानून/नियम राज्य व भारत सरकार द्वारा तमय समय पर लागू किये जायेंगे उतने लीज हेतु निहित सभी प्रावधानों का पालन करेगे।

4- यह कि भारत के किसी न्यायालय में उपरोक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई विधिक कार्यवाही लम्बित नहीं है जो कि उक्त भूमि को लीज पर देने अध्याव लेने से बाध हो।

5- यह कि लीज दिनांक 30-06-2022 दिन मुरुवार से 30 वर्ष तक हेतु अपरिवर्तनीय है। 30 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त लीज खत समाप्त हो जायेगी अध्याव दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर लीज को वापस की अवधि के लिए पुनः स्थापित कर सकते है।

  
Sanjay Kumar

  
Sanjay Kumar



6- यह कि उक्त भूमि पर लीज की अवधि से पूर्व एच लीज को दिनांक तक किसी भी सरकारी या सरकारी अथवा व्यक्तिगत विस्तीय देनदारियों से मुक्त है यह भूमि सभी प्रकार के भार एवं बाधा से मुक्त है व फल व लॉक है।

7- यह कि द्वितीय पक्ष लीज गृहिता को इस भूमि को किसी अन्य पक्ष को लीज पर देने का कोई अधिकार नहीं होगा।

8- यह कि द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि पर उपलब्ध भवने का अथवा निर्माण कराकर शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल आदि सभी सम्बंधित संस्थाओं से मान्यता/अनुमोदन/सम्बद्धता/पंजीकरण लाइसेंस प्राप्त कर संचालन कर सकेगा।

9- यह कि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, अस्पताल के संचालन के काम में भवन निर्माण एवं शैक्षणिक संस्थान संचालन हेतु सभी विधिक कार्रवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

10- यह कि लीज द्वितीय पक्ष की तिथि से एवं उसके बाद लीज की अवधि में उक्त सम्पत्ति से सम्बंधित सभी विधिक दायित्व जमा करने हेतु उत्तरदायी एवं बंध्य होगा।

11- यह कि प्रथम पक्ष की आवश्यकता यदि द्वितीय पक्ष को किसी भी विधिक कार्य सरकार एवं स्वामित्व के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करने की पड़ती है तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के साथ उपरिष्ठत होकर सम्पूर्ण सहयोग करेगा एवं उपरोक्त कार्रवाही को पूर्ण करावेगा।

Sanjay Kumar

Sanjay Kumar



दस्तावेज  
30/06/2012

सदर जिला सीकर  
जिलाधिकारी कार्यालय  
30/06/2012

पेट नं०





इस वास्तु प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष को यह लीज अपनी राजी-खुरी व सही लेख हस्ता में खूब सोच समझकर यह सुनकर कलाई तहरीर कर दिया कि सन्द रहे व समय पर काम आवे विदित हो कि दिनांक 20-06-2022 ई0 को प्रथम पक्ष नौजा खरवी खरवा ताम्पा पटना परगना शहजहाँपुर तहसील व जिला देवरिया में स्थित आ0स0-226मि0 रकबा 0.810 हे0ए0 बानि 8193 वर्गमीटर पूर्ण पर जमींदारी विभागा अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन की भूमि घोषित करा ली है पक्षधरो के इच्छानुसार लेखक द्वारा पक्षधरो की फोटो प्रमाणित रूपत मवाहन के कथनानुसार स्वयं प्रारूपकर्ता ने की है। जस्त प्रलेख को कम्प्यूटर प्रणली लागू होने के कारण पक्षधरो के इच्छानुसार लेखक द्वारा प्रारूप तैयार कर कम्प्यूटर द्वारा टाईप कर तैयार किया गया है। विदित हो कि प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष व मवाहन के पहचान के रूप में आधार कार्ड की छायावृति संलग्न है।

Sanjay Kumar



Sanjay Kumar



मकल नं-1-

सिद्धेन्द्र कुमार पुत्र गोपाल निचली देवरिया खास बार्डे नं0-4 पोस्ट व तहसील व जिला देवरिया



आधार नं0-815187337470  
मोबाइल नं0-7905244410

मिनिस्टेरिया प्रिक्का

मकल नं0-2

मिनिस्टेरिया मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा मकल नं0- 38 धाम नोनिडाऊपर पोस्ट नाम का बड़हरा तहसील व जिला देवरिया



आधार नं0- 610738316900  
मोबाइल नम्बर- 9181945686

Rathore

लेखक/मसौदाकर्ता 20/06/2022

राधव कुमार पाण्डेय एडवोकेट तहसील कोर्ट, देवरिया  
रजि0नं0- यु0पी0 05677/04 दिनांक 20-06-2022  
मो0नं0-9839668892

आवेदन सं०: 202200959000952

धरी संख्या : जिल्द संख्या 13530 के पृष्ठ 217 से 228 तक क्रमांक  
7972 पर दिनांक 30/06/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सतीश कुमार कुशावाहा प्रभारी

उप निबंधक : सदर

देवरिया

30/06/2022

पिंड नं०

